आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद सं 121/14	
6/01/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **कौशल किशोर सिंह, पिता–स्व0 रामजनम सिंह, सा0–पहलेजा शाहपुर दियरा, थाना–सोनपुर, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5463/गो0 10.12.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक कौशल किशोर सिंह, पिता–स्व0 रामजनम सिंह, सा0–पहलेजा शाहपुर दियरा, थाना–सोनपुर, जिला–सारण के द्वारा एक एन.पी.बोर. रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में दिनांक 11.12.14 एवं 18.12.14 को पूर्व में सुनवाई की गई थी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया था। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं रेलवे में ठिकेदारी का कार्य करते हैं। इनका ग्राम दियरा क्षेत्र के किनारे अवस्थित है। ठिकेदारी के कार्य से देर रात्रि तक इन्हें बाहर जाना पड़ता है। इसलिए अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस थानाध्यक्ष, सोनपुर के डी.आर. 635 दिनांक 21.5.12, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 1001 दिनांक 25.5.12, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1156 दिनांक 16.7.12 एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 534 दिनांक 23.6.12 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5453/गो0 दिनांक 10.12.14 के द्वारा उक्त अभिलेख को प्रेषित किया गया। दिनांक 11.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। अभिलेख में संधारित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त पाया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट	

प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अतः पुलिस अधीक्षक, सारण से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5567/गो0 दिनांक 17.12.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 1329 दिनांक 14.12.14 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 3019 दिनांक 15.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार, थाना अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के विरूद्व सोनपुर थाना कांड संख्या 436/14 दिनांक 4.10.14 धारा–147/149/323/354/448/379/506 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत वाद दर्ज है, जो वर्त्तमान में अनुसंधान के अंतर्गत है।

दिनांक 18.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में पुनः मामले की सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक से थाना अभिलेख में अंकित वाद के संबंध में पृच्छा की गयी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों को सोनपुर थाना कांड सं0 436/14 एवं 437/14 की जानकारी होने के पश्चात् दोनों वाद में सुलह हो गया है। सुलह नामा के आधार पर जिला एवं शस्त्र न्यायाधीश, सारण के न्यायालय से दोनों पक्ष जमानत पर हैं। सोनपुर थाना कांड सं0 436/14 के सूचक के साथ आवेदक का अच्छा संबंध हो गया है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा वर्त्तमान में लंबित नहीं है। आवेदक के द्वारा इस आशय का एक लिखित आवेदन एवं शपथ पत्र समर्पित किया गया। आवेदक को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि अविलम्ब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।

उक्त आदेश के अनुपालन में आवेदक के द्वारा सोनपुर थाना कांड सं0 436/14 से संबंधित A.B.P. No. 2875/2014 (6143/2014) में माननीय सत्र न्यायाधीश, सारण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.14 की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार संबंधित पक्षों में सुलह हो जाने के पश्चात् आवेदकों 5,000 रूपये के बंध पत्र पर जमानत प्रदान की गयी है।

आज दिनांक 6.1.15 को आवेदक की उपस्थिति में उक्त मामले की पुनः सुनवाई की गयी एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत न्यायादेश की सच्ची प्रतिलिपि का परिसीलन किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए बयान तथा माननीय न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश की सच्ची प्रतिलिपि एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के द्वारा

	पारित न्यायादेश दिनांक 10.12.14 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक के विरूद्व सोनपुर थाना कांड सं0 436/14 में भादवि के विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त 27 शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है। चूँकि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया है, इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा आवेदकों को जमानत दी गयी है। उल्लेखनीय है कि आवेदक के विरूद्व दर्ज वाद का अभी अंतिम रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा निष्पादन नहीं किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करना विधि–सम्मत् प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को निर्देश है कि उक्त मामले का माननीय न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से निष्पादन के पश्चात् पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि के साथ आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् इस मामले में यथोचित आदेश पारित किया जाएगा। लेखापित एवं संशोधित (ह०) जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा। (ह०) जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा।	

ज्ञापांक 08 मु0 /15 दिनांक 13/1/15

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
12/1/15